बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

मुखर आदेश (Speaking Order)

श्री मुकेश, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–2 C (डिहरी–तिलौथु एंव तिलौथु–रोहतास) पथ कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के लिए प्रपत्र–'क' के तहत कुल दो आरोपों को गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–263–सहपठित ज्ञापांक–5023 (ई) अनु0 दिनांक–24.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2968 (अनु0) दिनांक–01.12.17 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के तहत श्री मुकेश के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अन्तर्गत आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में में श्री मुकेश से विभागीय पत्रांक–865 (ई) अनु0 दिनांक–07.02.18 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री मुकेश द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–24.02.18 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से कार्य कराये जाने के दौरान FDD की जाँच किसी भी प्रमंडल के द्वारा नहीं किये जाने की परम्परा होने सहित उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं होने एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में गठित किया गया अभिमत साक्ष्य/तथ्य आधारित नहीं होने का तर्क अंकित किया गया।

5. प्रासंगिक मामले में आरोप के मूल तकनीकी बिन्दुओं के संदर्भ में विभागीय तकनीकी समिति से समीक्षा करायी गयी। विभागीय तकनीकी समिति से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पथ के 11वें कि0मी0 में SDBC Gr-II कार्य में औसत FDD का मान प्रावधान 2.16gm/cc से कम 2.1gm/cc पाये जाने, BM Gr-II कार्य में औसत मान प्रावधान 2.07gm/cc से कम 2.0gm/cc पाये जाने, SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 5 प्रतिशत के प्रावधान की तुलना में 3.68 प्रतिशत पाये जाने एवं BM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.3 प्रतिशत से कम 2.45 प्रतिशत पाया गया, जबकि कार्य से संबंधित गुणवता आदि की जिम्मेवारी अपेक्षाकृत सहायक अभियंता से ज्यादा कनीय अभियंता की होती है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य के आधार पर श्री मुकेश के रामर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा आरोप के मूल बिन्दुओं के संबंध में कोई तथ्य नहीं रखा गया है, बल्कि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन को अविश्वसनीय एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा गठित अभिमत को साक्ष्य/तथ्य

आधारित नहीं होना अंकित किया गया है जिसके फलस्वरूप आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने और प्रासंगिक पथ निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में कनीय अभियंता के रूप में श्री मुकेश की सीधी जबावदेही परिलक्षित होने के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–192 सहपठित ज्ञापांक–5833(E) दिनांक–16.08.2018 द्वारा श्री मुकेश तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रतिः कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत समानुपातिक रूप से **दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड संसूचित किया गया।

7 उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री मुकेश द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक–24.09.2018 एवं पूरक अपील अभ्यावेदन दिनांक–23.01.2019 समर्पित किया गया जिसके तहत अपने बचाव में इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य रखे गयेः–

(i) विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–349 दिनांक–02.12.2010 में निहित निदेश के आलोक में "पथों की जाँच के क्रम में FDD की जाँच एक कि०मी० में कम से कम तीन Cross Section पर अवश्य की जाय तथा प्रत्येक Cross Section के एक Hole से नमूना संग्रहित की जाय। उड़नदस्ता द्वारा मात्र एक Cross Section पर जाँच किया गया।

(ii) उड़नदस्ता के द्वारा SDBC Gr.II का FDD Value 2.16gm/cc के स्थान पर 2.1gm/cc (97.22%) तथा BM Gr.II का FDD Value 2.07gm/cc के स्थान पर 2.0gm/cc (96.62%) प्रतिवेदित किया गया जो त्रुटि पूर्ण है। यदि जाँच तीन Cross Section पर की गई होती तो यह विचलन SDBC Gr.II में 0.0432gm/cc (98%) और BM Gr.II में 0.0414 (98%) से कम होता।

9. श्री मुकेश के अपील अभ्यावेदन में अंकित तकनीकी तथ्यों/बिन्दुओं के संदर्भ में विभागीय तकनीकी समिति की प्राप्त अनुशंसा में कोई नई बात नहीं रखे जाने का मंतव्य दिया गया है। इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में इनकों आंशिक रूप से दोषी पाये जाने का मंतव्य गठित किया गया है। इनसे पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के अनुपालन में समर्पित उत्तर/बचाव में जिन तथ्यों को आधार बनाया गया था, अपील अभ्यावेदन में उसकी पुनरावृति की गयी है। इनके अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों की विभागीय तकनीकी समिति के साथ–साथ विभागीय समीक्षा में भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

10. **अतः प्रस्तुत मामले में श्री मुकेश तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा समर्पित अपील आवेदन दिनांक–24.09.2018 एवं पूरक अपील अभ्यावेदन दिनांक–23.01.2019 में रखे गये तथ्यों/तर्को की समीक्षा के उपरांत उनके द्वारा कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत इसे अस्वीकृत किया जाता है।**

ह०/–
(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–निग/सारा–1(पथ)एन0एच0–64/2014 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मुकेश, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–निग/सारा–1(पथ)एन0एच0–64/2014 4778(4) पटना, दिनांकः– 16/5/19

प्रतिलिपिः–आई० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय **Web-site** पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16.5.19

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

15/05/19